उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 [उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16 सन् 1995]

# THE UTTAR PRADESH COMMISSION FOR THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ACT, 1995

[U. P. Act No. 16 of 1995]

(उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16 सन् 1995)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग की स्थापना और उससे संबंधित और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

## अधिनियम

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

#### अध्याय - एक

## प्रारम्भिक

1—— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 कहा जायगा।

संक्षिप्त नाम, विस्तार और

- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
- (3) यह ८ अगस्त, १९९४ को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

2-- इस अधिनियम में :-

परिभाषाएं

- (क) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित आयोग से है;
- (ख) ''सदस्य'' का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है और इसमें आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी सम्मिलित है।

### अध्याय-दो

# उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग

3— राज्य सरकार एक निकाय का गठन करेगी, जिसे उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में जाना जायेगा और वह इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कृत्यों का निष्पादन करेगा।

आयोग का गटन

- 4-- (1) आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे :--
- आयोग की संरचना

- (क) अध्यक्ष, अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों में से ;
- (ख) उपाध्यक्ष, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से ;
- (ग) तीन अन्य सदस्य, जिनमें से एक अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से होगा ; और
  - (घ) एक अन्य सदस्य, महिलाओं में से।

**धारा 5-7**}

- (2) सदस्य की नियुक्ति ऐसे योग्य, निष्ठावान और प्रतिष्ठावान व्यक्तियों में से की जायेगी, जिन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए न्याय के प्रति निःस्वार्थ सेवा में योगदान दिया है।
  - (3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्तियां अधिसूचित आदेश द्वारा की जायेगी।
- 5—— (1) प्रत्येक सदस्य उस दिनांक से, जब वह पद ग्रहण करे, तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की पार्ने

- (2) कोई सदस्य, किसी भी समय राज्य सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।
  - (3) राज्य सरकार, किसी व्यक्ति को सदस्य के पद से हटा देगी, यदि वह व्यक्ति
    - (क) अननुमोचित दिवालिया हो जाय ;
  - (ख) किसी अपराध के लिए जिसमें, राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो, सिद्धदोष और कारावास से दण्डित किया जाय ;
  - (ग) विकृत चित्त हो जाय और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाय :
    - (घ) कार्य करने से इनकार कर दे या कार्य करने के अयोग्य हो जाय ;
  - (ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की छुट्टी प्राप्त किये बिना, आयोग की निरन्तर तीन बैठकों से अनुपस्थित रहे ; या
  - (च) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरूपयोग करे, जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हित या लोकहित के लिए हानिकारक हो जाय :

परन्तु किसी भी व्यक्ति को, इस खण्ड के अधीन, हटाया नहीं जायगा, जब तक कि उसे इस मामलें में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

- (4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को नई नियुक्ति द्वारा भरा जायगा।
- (5) सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विहित की जायं।
- 6—— (1) राज्य सरकार, आयोग को एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करायेगी, जो आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्वक पालन के लिए आवश्यक हो।

आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

- (2) आयोग के प्रयोजनार्थ नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विहित की जायं।
- 7— सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का और धारा 6 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन को सिमिलित करते हुए प्रशासनिक व्ययों का भुगतान धारा 13 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से किया जायेगा।

वेतन और भत्तों का भुगतान अनुदान से किया जायगा

**धारा 8-11** 

8— आयोग के गठन में मात्र किसी रिक्ति या त्रुटि होने के आधार पर आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही अविधिमान्य न होगी।

रिक्तियां आदि आयोग की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं करेगी

9— (1) आयोग जब कभी आवश्यक हो, ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा, जैसा अध्यक्ष उचित समझे।

प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना

- (2) आयोग अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करेगा।
- (3) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है या अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो उन कर्तव्यों का, उपाध्यक्ष द्वारा तब तक निर्वहन किया जायगा जब तक नया अध्यक्ष अपना पद धारण नहीं करता है या, यथास्थिति, विद्यमान अध्यक्ष अपने पद को फिर से नहीं सम्मालता है।
- (4) यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं तो अध्यक्ष के पद के कर्त्तव्यों का निर्वहन ऐसे सदस्य द्वारा, जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देशित करे, किया जायेगा।
- (5) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा या इस निमित्त सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

10— राज्य सरकार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले समस्त मुख्य नीति विषयक मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी। राज्य सरकार का आयोग से परामर्श करना

#### अध्याय-तीन

## आयोग के कृत्य और शक्तियां

11-- (1) आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :-

आयोग के कर्तव्य और कृत्य

- (क) संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करना और ऐसे रक्षोपायों की कार्य प्रणाली का मुल्यांकन करना ;
- (ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना ;
- (ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक—आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना और उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना ;
- (घ) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक और ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ;
- (ङ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक—आर्थिक विकास के लिए उन रक्षोपायों और अन्य उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे प्रतिवेदन में उन उपायों के संबंध में, जो राज्य सरकार द्वारा किये जायं, सिफारिश करना ;
- (च) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास और अभिवृद्धि के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का, जो राज्य सरकार द्वारा उसको निर्दिष्ट किये जायं, निर्वहन करना।

धारा 12-13}

- (2) राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, आयोग की रिपोर्ट और उसके साथ उसकी सिफारिशों पर की गई या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारण, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण देते हुए ज्ञापन रखवायेगी।
- 12— किसी वाद का विचारण करने में सिविल न्यायालय को प्राप्त सभी शक्तियां आयोग को धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी मामलें का अन्वेषण करने में या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत पर जांच करने में विशेषतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में, प्राप्त होगी, अर्थात् —

आयोग की शक्तियां

- (क) किसी व्यक्ति को बुलाने और उपस्थिति के लिए बाध्य करने और शपथ पर उसकी परीक्षा करने ;
  - (ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करने ;
  - (ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने ;
- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करने:
- (ङ) साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण करने के लिए कमीशन जारी करने ; और
  - (च) किसी अन्य विषय में, जो विहित किया जाय:

[परन्तु किसी व्यक्ति को, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव का पद धारण करता हो या राज्य सरकार के कार्य—कलापों के सम्बन्ध में नियाजित विभागाध्यक्ष हो, खण्ड (क) के अधीन तब तक नहीं बुलाया जायेगा या उससे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जायेगी जब तक कि राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्रान्त न कर लिया गया हो और यदि ऐसा व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय यथास्थिति, उपसचिव के स्तर से अन्यून किसी व्यक्ति को या उसके समकक्ष पदधारण करने वाले किसी व्यक्ति को समनों के अनुपालन में आयोग के समक्ष उपस्थित करवाता है तो वह समनों का अनुपालन करता हुआ समझा जायेगा:

परन्तु यह और कि खण्ड (क) के अधीन जारी किये गये समनों में स्पष्ट रूप से प्रयोजन इंगित किया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित व्यक्ति को समन किया गया है और जब किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए समन किये बिना दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन किया जाता है तो यदि वह उसे प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय, ऐसे दस्तावेज को प्रस्तुत करवा देता है तो यह समझा जायगा कि उसने समन का अनुपालन कर दिया है।

#### अध्याय - चार

#### वित्त, लेखा और लेखा-परीक्षा

13— (1) राज्य सरकार, राज्य विधान मंडल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक विनियोजन किये जाने के पश्चात्, आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जैसी राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने के लिए उचित समझे।

राज्य सरकार द्वारा अनुदान

{धारा 14-20}

- (2) आयोग ऐसी राशि को जैसी वह अधिनियम के अधीन कृत्यों के सम्पादन के लिए उचित समझे, खर्च कर सकता है और ऐसी धनराशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से व्यय के रूप में देय समझा जायगा।
- 14—— (1) आयोग, समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखे का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में, जैसा विहित किया जाय, तैयार करेगा।

लेखा और लेखा-परीक्षा

- (2) लेखे के वार्षिक विवरण की एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित की जायगी, जो उसका लेखा—परीक्षण करवायेगी।
- 15— आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाय, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों का पूरा लेखा दिया जायगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

वार्षिक रिपोर्ट

16— राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट, आयोग द्वारा दी गई सलाह पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन के साथ और ऐसी किसी सलाह के अस्वीकार किये जाने का कारण यदि कोई हो, और लेखा परीक्षा रिपोर्ट यथाशक्य शीघ्र जैसे ही वे प्राप्त हो, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी।

वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जायेगी

#### अध्याय – पाँच

#### प्रकीर्ण

17— आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायगा। आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

18— जो कोई धारा 12 के अधीन आयोग के किसी आदेश का पालन करने में विधिक रूप से बाध्य होते हुए जानबुझकर ऐसा नहीं करता है, सिद्धदोष होने पर यथास्थिति, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174, 175, 176, 178, 179 या 180 के अधीन दण्डित किया जायगा।

शास्ति

19— कोई न्यायालय, अध्यक्ष या किसी सदस्य या इस निमित्त आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिखित परिवाद पर संज्ञान के सिवाय धारा 18 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

अपराधों का संज्ञान

20— किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए, जो इस अधिनयम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

धारा 20क-23}

{20-क-- राज्य सरकार, आयोग को ऐसे निदेश जारी कर सकती है जो अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या उचित समझे जायं और आयोग ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।}1

निदेश जारी करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति

21— (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति

- (2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—
  - (क) धारा 5 की उपधारा (5) के अधीन सदस्यों को और धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें :
    - (ख) धारा 12 के खण्ड (च) के अधीन कोई विषय ;
  - (ग) प्रपत्र, जिसमें धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन लेखे का वार्षिक विवरण तैयार किया जायगा ;
  - (घ) प्रपत्र, जिसमें और समय जब धारा 15 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायगी;
  - (ङ) कोई अन्य विषय, जिसे किये जाने की अपेक्षा की जाय या विहित किया जाय।
- 22— (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, कर सकती है, जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

किनाइयों को दूर करने की शक्ति

- (2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जायेगा।
- (3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23—क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे, जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में प्रवृत्त होते हैं।
- 23— (1) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के, या उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यादेश, 1994 के या उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (द्वितीय) अध्यादेश, 1994 के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

# THE UTTAR PRADESH COMMISSION FOR THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ACT, 1995

# [U. P. Act No. 16 of 1995]

(as passed by the Uttar Pradesh Legislature)

#### AN

#### **ACT**

to establish a Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and for the matters connected therewith and incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

#### **CHAPTER I**

#### **Preliminary**

Short title, extent and commencement

- 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act, 1995.
  - (2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.
  - (3) It shall be deemed to have come into force on August 8, 1994.

#### **Definitions**

- 2. In this Act --
  - (a) "Commission" means the Commission constituted under section 3;
  - (b) "Member" means a member of the Commission and includes the Chairman and the Vice-Chairman of the Commission.

#### **CHAPTER II**

# The Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes

Constitution of the Commission

3.

The State Government shall constitute a body to be known as the Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to, it under this Act.

# Composition of the Commission

- 4. (1) The Commission shall consist of the following members appointed by the State Government:-
  - (a) a Chairman from amongst person as belonging to the Scheduled Castes;
  - (b) a Vice-Chairman from amongst persons belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes;
  - (c) three other members out of which one shall be from amongst persons belonging to the Scheduled Tribes; and

(d) one other member from amongst women.

[The Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act, 1995]

[Section 5-7]

- (2) The Members shall be appointed from amongst persons of ability, integrity and standing who have had a record of selfless service to the cause of justice for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
- (3) The appointments under sub-section (1) shall be made by a notified order.

Term of office and conditions of service of Members

- 5. (1) Every Member shall hold office for a term of three years from the date he assumes office.
  - (2) A Member may, at any time by writing under his hand, addressed to the State Government, resign from his office.
  - (3) The State Government shall remove a person from the office of Member if that person-
    - (a) becomes an un-discharged insolvent;
    - (b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the State Government involves moral turpitude;
    - (c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court;
    - (d) refuses to act or becomes incapable of acting;
    - (e) is, without obtaining leave of absence from the Commission absent from three consecutive meetings of the Commission; or
    - (f) has, in the opinion of the Stale Government, so abused the position of Chairman or Member as to render that person's continuous office detrimental to the interests of the Scheduled Castes of Scheduled tribes or the public interest:

Provided that no person shall be removed under this clause until he has been given an opportunity of being heard in the matter.

- (4) A vacancy caused under sub-section (2) or otherwise shall be filled by fresh appointment.
- (5) The salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of, the Members shall be such as may be prescribed.

Officers and other employees of the Commission

- 6. (1) The State Government shall provide the Commission with a Secretary and such other officers and employees as may be necessary for the efficient performance of the functions of the Commission.
  - (2) The salaries and allowances payable, to, and other terms and conditions of service of the officers and other employees appointed for the purpose of the Commission shall be such as may be

prescribed.

Salaries and allowances to be paid out of grants 7.

The salaries and allowances payable to the Members and the administrative expenses, including salaries, allowances and pensions payable to the officers and other employees referred to in section 6, shall be paid out of the grants referred to in sub-section (1) of section 13.

[The Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act, 1995]

[Section 8-11]

Vacancies etc. not to invalidate proceedings of the Commission

8. No act or proceeding of the Commission shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy of defect in the Constitution of the Commission.

# Procedure to be regulated by Commission

- 9. (1) The Commission shall meet as and when necessary at such time and place as the Chairman may think fit.
  - (2) The Commission shall regulate its own procedure.
  - (3) If the office of the Chairman becomes vacant or if the Chairman is for any reason absent or unable to discharge the duties of his office, those duties shall, until the new Chairman assumes office or the existing Chairman an resumes his office, as the case may be, be discharged by the Vice-Chairman.
  - (4) If the offices of both Chairman and Vice-Chairman become vacant the duties of the office of Chairman shall be discharged by such Member as the State Government may, by order, direct.
  - (5) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Commission duly authorized by the Secretary in this behalf.

State Government to consult Commission 10. The State Government shall consult the Commission on all major policy matters affecting Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

### **CHAPTER.-III**

#### **Functions and Powers of the Commission**

Duties and functions of the Commission

- 11. (1) It shall be the duty of the Commission --
  - (a) to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the Constitution or under any other law for the time being in force or under any order of the State Government and to evaluate the working of such safeguards;
  - (b) to enquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes;
  - (c) to participate and advice on the planning process of socio-economic development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and to

evaluate the progress of their development;

- (d) to present to the State Government annually and at such other times as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards;
- (e) to make in such reports recommendations as to the measures that should be taken by the State Government for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes; and
- (f) to discharge such other functions in relation to the protection, welfare, development and advancement of the Scheduled Castes and Scheduled tribes as may be referred to it by the State Government.

[The Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act, 1995] [Section 12-13]

(2) The State Government shall cause the reports of the Commission to be laid before each House of the State Legislature along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations and the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations.

# Power of the Commission

- 12. The Commission shall, while investigating any matter referred to in clause (a) or inquiring into any complaint referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 11, have all the powers of a civil court trying a suit and in particular in respect of the following matters, namely:-
  - (a) summoning and enforcing attendance of any person and examining him on oath;
  - (b) requiring the discovery and production of any document;
  - (c) receiving evidence on affidavits;
  - (d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office:
  - (e) issuing commissions for the examination of witnesses and documents; and
  - (f) any other matter that may be prescribed:

[Provided that no person who is holding the office of the Chief Secretary, Principal Secretary or Secretary to the State Government or is Head of the Department employed in connection with the affairs of the State Government shall be summoned or required to attend in person under clause (a) unless prior approval of the State Government has been obtained and such person shall be deemed to have complied with the summons if he causes a person not below the rank of Deputy Secretary or, as the case may be, a person holding a post equivalent thereto to attend the Commission in compliance with the summons instead of attending in person:

Provided further that the summons issued under clause (a) shall clearly indicate the purpose for which the person concerned has been summoned and when any person is summoned to produce a document without being summoned to give evidence, he shall be deemed to have complied with the summons if he causes such document to be produced instead of attending personally to produce the same.]

## CHAPTER-IV Finance, Accounts and Audit

Grants by the State
Government

13. (1) The State Government, shall, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Commission by way of grants such sums of money as the State Government may think fit for being utilized for the purposes of this Act.

1. Substituted by section 2 of U.P. Act No. 1 of 1998.

[The Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act, 1995]

[Section 14-20]

(2) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section (1).

# Accounts and audit

- 14. (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed.
  - (2) A copy of the annual statement of accounts shall be forwarded to the State Government which shall cause it to be audited.

#### Annual Report

15. The Commission shall prepare, in such form and at such time, for each financial year, as may be prescribed, its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the State Government.

### Annual report and audit report to be laid before the State Legislature

16.

The State Government shall cause the annual report, together with a memorandum of action taken on the advice tendered by the Commission

and the reason for the non-acceptance, if any, of such advice, and the audit

report to be laid, as soon as may be, after they are received, before each House of the State Legislature.

## **CHAPTER-V**

#### Miscellaneous

# Chairman, Members and employees of

17. The Chairman, Members and employees of the Commission shall be deemed to be public Servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

the Commission to be public servant

Penalty

18. Whoever being legally bound to obey any order of the Commission under Section 12, intentionally omits to do so, shall on conviction be punished under Sections 174, 175, 176, 178, 179 or 180 of Indian Penal Code, as the case may be.

Cognizance of offences

19. No court shall take, cognizance of an offence specified in Section 18 except on a complaint in writing of the Chairman or a Member or of an officer authorized by the Commission in this behalf.

Protection of action taken in good faith

20.

20-A

No, suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of the provisions of this Act or the rules made thereunder.

[The Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act, 1995]

[Section 20A-23]

[Power of the State Government to issue directions

The State Government may issue such directions to the Commission as may be considered necessary or proper for carrying out the purposes of the Act and the Commission shall be bound to comply with such directions.]<sup>1</sup>

Power to make rules

- 21. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.
  - (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters; namely:-
    - (a) salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of, the Members under sub-section (5) of section 5 and the officers and other employees under sub-section (3) of Section 6;
    - (b) any other matter under clause (f) of Section 12;
    - (c) the form in which the annual statement of accounts shall be prepared under sub-section (1) of Section 14;
    - (d) the form in, and the time at, which the annual report shall be prepared under Section 15;
    - (e) any other matter which is required to be, or may be prescribed.

Power to remove difficulties

22. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notified order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as

- appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.
- (2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.
- (3) Every order made-under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before both Houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of Section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

# Appeal and saving

- 23. (1) The Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Ordinance, 1995 is hereby repealed.
  - (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance referred to in sub-section (1) or of the Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Ordinance, 1994 or the Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Second) Ordinance, 1994 shall be deemed to have been done or taken under the provisions of this Act as if the provisions of this Ordinance were in force at all material times.

<sup>1.</sup> Substituted by section 3 of U.P. Act No. 1 of 1998.